



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:- 248/प्रा0पत्र/2025

दायरा दिनांक :-11.08.2025

GCMS ID-2025/395

बउनवान

1. गोपाल पिता भूरा जाति मीणा निवासी भीलडया, भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पिता भूरा जाति मीणा निवासी भीलडया, भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2. आशा पत्नी महावीर जाति मीणा निवासी भीलडया, भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
3. महावीर पिता गोपाल जाति मीणा निवासी भीलडया, भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
4. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :- श्री महेश नामा।

वकील अप्रार्थीगण :- एकतरफा।

आदेश

दिनांक :-30.01.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि "भूमि खाता संख्या 67 ख.सं. 2903/1812 रकबा 1.6187 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 62 ख.सं. 2900/1811 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. मे विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि एक तरफ अप्रार्थी संख्या 1 शंकर की खातेदारी भूमि ख.सं. 2165 व दुसरी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आशा व महावीर की खातेदारी भूमि ख.सं. 3040/1811 की भूमिया स्थित है, तथा दो तरफ सिवायचक भूमि ख.सं. 1812 स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के प्रार्थी खातेदार है, लेकिन प्रार्थी की भूमि सीमाओं पर कोई मुस्तकिन निशान नहीं होने से तथा सीमाबंधी के बाबत् कोई स्थायी चिन्ह नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 आये दिन प्रार्थी की भूमियो पर कब्जा करने की कुचेष्टा करता है तथा प्रार्थी की भूमि के अन्दर अपनी भूमियो



ताते हैं, तथा आये दिन लडाईं झगडा करते हैं। जिस कारण प्रार्थी अपनी भूमि पर तारपेसिंग वगैरा नही करवा पा रहा है। प्रार्थी चाहता है कि अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमाओ पर तारपेसिंग कर सके। इस कारण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अभी दिनांक 15.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि पर पूर्व मे तारपेसिंग नहीं कर पाया है. ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर तारपेसिंग करना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 67 ख.सं. 2903/1812 रकबा 1.6187 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 62 ख.सं. 2900/1811 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्जे नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने से जबाव बन्द किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 4 सरकार ने नियमानुसार राशि जमा कर आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू-प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाएंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियाँ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। बहस वकील प्रार्थी मुख्य रूप से प्रार्थना के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076-79 के ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 62



67 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 62 के खसरा संख्या 2900/1811 रकबा 1.2950 हैक्टेयर व खाता संख्या 67 के खसरा संख्या 2903/1812 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Shree
30/01/2026
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली